

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण

पत्रांक : 124/प्र०उत्त०स०) /जेन-१/2014-१५ दिनांक १५/०७/२०१५

अनुमति-पत्र

यह अनुमति उ०प्र० नगर नियोजन तथा वैलर अधिनियम १९७३ की दरा १४ व १५ के अन्तर्गत लौं जाती है। किन्तु अर्थ यह न सन्दर्भ चाहिये के उस भूमि के रूचक में जिस पर इस्तावित नहीं होम भानवित्र स्वीकृत किया जा रहा है इसाँ किसी प्रकार या किसी स्थानीय नियाम वा इसका स्थानीय अधिनियम वा व्यवित्र अधिकारी वा व्यवित्र अधिकारी के द्वारा किसी के बाईक ना अधिकारी पर चिल्ली के बाई असर गड़े। अर्थात् यह अनुमति किसी के नियोक्यत या राष्ट्राधिकार के अधिकारों जे पिछले बाई इनाम न रखती।

श्री हरि नारायण सिंह अध्यक्ष/द्रष्टव्य, गहेश नारायण सिंह देलफेल्ड फाउण्डेशन (वैरिटेल ट्रस्ट), श्री प्रशान्त कुमार सिंह बुब्ल ल०० नहेश नारायण सिंह (द्रष्टव्य) द्वारा गजुल की होल्ड भूमिका स्वीकृत ५५ जारी दाढ़न इलाहाबाद जेन संख्या (१) के अन्तर्गत वाधिक विवादित नहीं होग मानवित्र का विवाद उपर्याप्त नहोदय के अनुदेशनादेश दिनांक १३.०७.२०१५ से अनुपालन ने नियोजित प्रतिबन्धों के उभीन प्रदान की जाती है :-

१. उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम १९७३ की दरा १४ व १५ (१) के प्राधिकारों के अनुरूप पूर्णतः उनान पत्र आन होने के पश्चात् ही उपमोग/अधिकारी लिया जायेग। गवन नियाम एवं विवाद उपर्याप्त २००८ गे उपर्याप्ति संख्या २.१.६ इव ३.१.६ मे विवादित प्रतिबन्ध कूप कर द्वारा ग्राह करना आवश्यक है।
२. यह जीकृति अन्तिम (Provisions) जीकृति के रूप ने लैगी। नियाम पूर्ण होने के अनुरूप जीकृति के अनुरूप अन्वेदक Mandatory Clearances/M.C. की शर्त पूरी करने के अन्तर्गत नियत दिये जाने वाले 'पूर्णतः प्रभाग-पृ०' प्र० करने के बाद ही इस परिवार को प्राधिक दर्द्दों से बाया जा सकेगा।
३. स्थल पर १२ वर्ष बिना जा रहे बोर्ड आकार स्वीकृति स्वाक्षरी दिवस शाकेत लक्ष्य होगा तथा यह गी अंकित किया जाय कि नियाम होम में संक्षमज रोगों वा इलाज नहीं किया जाता है।
४. स्थल पर ०६ अद्व दृढ़ लगाए होंगे तथा दृढ़ों ले हरा-बरा सरने का दायेत आवेदक ता होगा।
५. स्थल पर रोज़े बाटर लीटिंग संस्कृत की स्थाना आवश्यक रूप से ली जायेगी। इस हेतु दिये गये शाख एवं विवाक ०४.३०.२०१६ फ० अकारण अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा।
६. स्थल पर रेनवाटर हावेलिंग प्रणाली यानक के उपर्याप्त पूर्ण कृतकर घु-गर्भ अस बोर्ड औ अनावर्ति ग्राहा-एवं ग्राहक करना होगा। लापाश्वारी ली पूर्णतः उनान-पत्र नियाम किया जायेगा।
७. गोवेक्षण देस का नियोजन उनियां रूप से बोगेटिकल वेस्ट गेनेजेन्ट एवं इंजिनियर लॉस १९९८ अध्या अन्य प्रभावी नियामों ले अनुसार सुनिश्चित किया जाय तथा इन्यां द्वारा नियाम एवं नियामन करना होगा।
८. नियाम होने मे राक्षयक रोग के इलाज नियित होगा। इस हेतु दिये गये १५४८ एवं के अकारण अनुपालन बाध्यकारी होगा।
९. नगर आगुक्त, नगर नियम इलाहाबाद की अन्तर्गत पत्र स्व० ७०३/SCCE/2015 दिनांक २२.०६.२०१५ से शक्ति प्रतिबन्धों का अकारण अनुपालन करना होगा। (जायाप्रति संलग्न)
१०. मुख्य आग्मि शमन अधिकारी इलाहाबाद नी अन्तर्गत पत्र संख्या २०१५/१००४०/इल०/इलाहाबाद/१०१/CFO दिनांक ३१.०६.२०१५ मे अंकित प्रतिबन्धों ला अकारण अनुपालन करना होगा। (जायाप्रति संलग्न)

